

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग.

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर

क्रमांक: F.35()/Rabi-2079/smf/7974

दिनांक: 04/12/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/BAR/0011051

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक 4617-624 दिनांक 31.03.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (रबी II -2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
धौरीमन्ना	3214	SMF	75%-100%	46643593
सेडवा	466	SMF	75%-100%	5637030
बाड़मेर	211	SMF	75%-100%	2037034
गुडामालानी	3281	SMF	75%-100%	37856048
धनाऊ	15	SMF	75%-100%	139266
बाड़मेर ग्रामीण	540	SMF	75%-100%	7171448
शिव	247	SMF	75%-100%	6263706
योग	7974			105748125

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-[02]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

Signature valid

Digitally signed by Tink Dabi
Date: 2025.12.08 16:39:25 IST
Reason: Self Attested



आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर

क्रमांक: F.35()/Rabi-2079/smf/40531

दिनांक: 04/12/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/BAR/0011053

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक 4617-624 दिनांक 31.03.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (रबी II -2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
नोखरा	7	SMF	50%-75%	44200
शिव	3101	SMF	50%-75%	70102749
गुदामालानी	6003	SMF	50%-75%	55736004
धौरीमन्ना	5216	SMF	50%-75%	69031802
बाड़मेर ग्रामीण	143	SMF	50%-75%	2024137
चौहटन	614	SMF	50%-75%	8445492
धनाऊ	7373	SMF	50%-75%	65391106
बाड़मेर	600	SMF	50%-75%	5914335
बाटाड़	1199	SMF	50%-75%	10637538
सेडवा	16275	SMF	50%-75%	186537280
योग	40531			473864643

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-[02]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

Signature valid

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.12.08 16:58:42 IST
Reason: Self Attested



आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर

क्रमांक: F.35()/Rabi-2079/45285

दिनांक: 05/12/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/BAR/0011081

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक 4617-624 दिनांक 31.03.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (रबी II -2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
बाड़मेर	606	Other Than SMF	50%-75%	13995318
नोखरा	14	Other Than SMF	50%-75%	422960
धौरीमन्ना	6676	Other Than SMF	50%-75%	191678713
गुदामालानी	6869	Other Than SMF	50%-75%	182860574
बाड़मेर ग्रामीण	275	Other Than SMF	50%-75%	7593559
शिव	3969	Other Than SMF	50%-75%	132805614
चौहटन	2488	Other Than SMF	50%-75%	68373600
बाटाडू	3275	Other Than SMF	50%-75%	79273386
सेडवा	14247	Other Than SMF	50%-75%	376254565
धनाऊ	6866	Other Than SMF	50%-75%	157103351
योग	45285			1210361640

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(10)-02-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

Signature valid

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.12.08 16:57:53 IST
Reason: Self Attested



टीना डाबी
आई.ए.एस.
Tina Dabi
I.A.S.



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर, राजस्थान
COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE
BARMER, RAJASTHAN

5677

DO Letter No.

Dated

प.35(1) आ.प्र. एवं सहा./
औलावृष्टि-2079/661
दि. 03.09.2025

Respected Sir,

मैं श्रीमान् का ध्यान आपके अर्द्धशासकीय पत्रांक एफ.2(6)()आ.प्र.एवं सहा./लेखा/बजट 2024-25 / राजकाज 14594786 दिनांक 04.04.2025 के क्रम में रबी संवत् 2079 (औलावृष्टि) वर्ष 2022-23 में बाड़मेर जिले में प्रभावित काशतकारों को कृषि आदान अनुदान के संबंध में आकृष्ट करते हुये निवेदन है कि आप चाही गई बिन्दुवार वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है :-

1. बिन्दु संख्या 01 की वस्तुस्थिति :-

- जिले में मार्च व अप्रैल, 2023 में औलावृष्टि होने पर रबी फसलों में केवल औलावृष्टि से हुये खराबे की 7डी रिपोर्ट विभागीय पत्रांक 4656-95 दिनांक 05.04.2023 द्वारा चाही गई थी, जो इस कार्यालय के पत्रांक 1860 दिनांक 26.04.2023 द्वारा भिजवाई गई।
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कृषि आदान अनुदान भुगतान की अनुमति हेतु विभागीय पत्रांक 2832-2856 दिनांक 11.08.2023 द्वारा अधिसूचना जारी की गई। इस कार्यालय के पत्रांक 1830 दिनांक 16.08.2023 द्वारा समस्त तहसीलदारान् को पात्र किसानों के डाटा दिनांक 31.08.2023 तक आवश्यक रूप से DMIS पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये।
- नवगठित बालोतरा जिला बनने के बाद भी बालोतरा से संबंधित पटवारियों द्वारा अपलोड काशतकारों के डाटा Relief (OIC) पर प्राप्त हो रहे थे। उनके अप्रूव करने के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 1861 दिनांक 22.08.2023 विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया, जिस पर विभागीय पत्रांक 4453 दिनांक 05.09.2023 द्वारा नवीन जिलों की प्रशासनिक स्वीकृतियां पुराने जिलों से जारी करने के निर्देश दिये गये। उक्त की पालना में दिनांक 20.12.2023 तक अपलोड हुये 73,414 काशतकारों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दिनांक 04.01.2024 को राशि रु. 149.70 करोड़ की बजट मांग भेजी गई, जिस पर विभाग द्वारा दिनांक 28.02.2024 को बजट आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के विरुद्ध आदान अनुदान वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर अनुदान वितरण किया जाना था परन्तु लोकसभा आम चुनाव, 2024 की आदर्श आचार संहिता के कारण अनुदान वितरण के संबंध में मार्गदर्शन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 651 दिनांक 22.03.2024 द्वारा लिखा गया था परन्तु विभाग से वित्तीय वर्ष 2023-24 में भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।
- लोकसभा आम चुनाव, 2024 की आदर्श आचार संहिता समाप्ति के बाद विभागीय पत्रांक 7078603 दिनांक 13.05.2024 द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः बजट मांग करने हेतु पूर्व में जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों को Re-eligible for AS करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक राजकाज 8119821 दिनांक 07.08.2024 द्वारा विभाग को लिखा गया।

- डीएमआईएस पोर्टल पर Re-eligible for AS प्राप्त होने पर पूर्व के 73,414 व बाद में अपलोड हुये काश्तकारों की पुनः स्वीकृतियां जारी कर विभाग से दिनांक 19.09.2024 को बजट मांग की गई। इस प्रकार जिला कार्यालय स्तर से किसी भी प्रकार की देरी नहीं हुई है।

2. बिन्दु संख्या 02 की वस्तुस्थिति :-

- (क) जिले में बाड़मेर से संबंधित 7डी अनुसार कुल अनुमानित काश्तकार 1,44,693 थे, जिसके विरुद्ध पटवारियों द्वारा 1,19,207 प्रभावित वास्तविक काश्तकारों के डाटा अपलोड किये गये थे, जिनके लिये 240.38 करोड़ की बजट मांग की गई। 7डी की तुलना में शेष रहे 25,486 काश्तकारों के जनआधार में बैंक खाता विवरण लिंक नहीं होने व डुप्लीकेट होने से वास्तविक प्रभावित काश्तकारों की ही बजट मांग प्रेषित की गई।
- (ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण आवंटित बजट का उपयोग नहीं किया जा सका तथा वर्ष 2024-25 में 16,957 काश्तकारों हेतु आवंटित राशि रु. 43.01 करोड़ का बजट आवंटन दिनांक 04.12.2024 को किया गया। जिनको अनुदान वितरण हेतु बिल कोषागार प्रेषित किये गये लेकिन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 61 काश्तकारों को राशि रु. 7,76,220/- के ही बिल ईसीएस हुए, शेष काश्तकारों के बिल ईसीएस नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बजट लैप्स हुआ तथा भुगतान नहीं हो पाया।

3. बिन्दु संख्या 03 की वस्तुस्थिति :-

विभागीय अर्द्धशासकीय पत्रांक 14594786 दिनांक 04.04.2025 के क्रम में कृषि विभाग की ओर से जारी बुवाई क्षेत्र के आंकड़ों अनुसार जिन्सवार में भी रबी फसलों (जीरा व ईसबगोल) में 33 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ था। मौसम विभाग द्वारा तत्समय जारी किये गये औलावृष्टि के आंकड़ों के संबंध में मौसम विभाग केन्द्र, जयपुर के पत्रांक 490 दिनांक 04.07.2025 अनुसार बाड़मेर जिले में मौसम विभाग की एक ही वैधशाला, महावीर नगर, बाड़मेर में स्थित है, जहां मार्च व अप्रैल, 2023 में बारिश दर्ज की गई, औलावृष्टि दर्ज नहीं की गई तथा उनके पत्रानुसार जिले के अन्य स्थानों पर विभागीय वैधशाला नहीं होने के कारण औलावृष्टि की सूचना प्रदान करना संभव नहीं है।

अतः मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी की तत्कालीन समय में जारी कृषि विभाग आंकड़ों 7डी रिपोर्ट व जिन्सवार अनुसार तैयार खराबे की सूचना के आधार पर प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु बजट आवंटन करवाने का श्रम करावें ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भुगतान कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

with warm regards,

भवदीया,

(टीना डाबी)

श्री भास्कर ए. सांवत
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राज. जयपुर



क्रमांक एम.जे./आई.सी.-007(G) / 490

दिनांक : 04.07.2025

कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
(आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा)
राजस्थान।

विषय :- बाड़मेर के मार्च तथा अप्रैल 2023 की ओलावृष्टि आंकड़ों के क्रम में
संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 35(1)/आ.प्र.एवं सहा./ओलावृष्टि-2079/356 दिनांक 04 जुलाई 2025

महोदय,

ऊपर उल्लेखित पत्र के संदर्भ में, आप को सूचित किया जाता है कि बाड़मेर में हमारी एक ही वेधशाला महावीर नगर, सिन्धरी चौराहा में स्थित है जिसमें दिनांक 04, 05, 06, 07, 08, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 मार्च 2023 तथा 01, 02, 11, 29, 30 अप्रैल 2023 को ओलावृष्टि दर्ज नहीं की गई है। यद्यपि उपरोक्त दिनों में बारिश दर्ज की गई है। बाड़मेर के अन्य स्थानों पर विभागीय वेधशाला नहीं होने के कारण ओलावृष्टि की सूचना प्रदान करना संभव नहीं है।

मौसम विज्ञानी-बी / Meteorologist-B
मौसम केंद्र / Meteorological Centre
भारत मौसम विज्ञान विभाग
India Meteorological Department
जयपुर / Jaipur-302029

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) बाड़मेर

क्रमांक : प.14() () भू.अ./सां./2022/ 1999

दिनांक- 31/03/2023

प्रेषित :-

निदेशक (सांख्यिकी)
राजस्व मण्डल
राज0 अजमेर

विषय :- मौसम रबी (उन्हालू) 2022-23 सम्वत् 2079 का जिन्सवार (विशेष गिरदावरी) भिजवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक एफ8/(34)राम/सां./कृषि/2022-23/16081-16110 दिनांक 21.03.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में बाड़मेर जिले में मौसम रबी (उन्हालू) 2022-23 सम्वत् 2079 का जिन्सवार (विशेष गिरदावरी) समस्त तहसीलों से प्राप्त कर, निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न भिजवाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति से अवगत करवावें।

1 मिश्रित जिन्स का विवरण निम्न प्रकार से हैं-

गोचना(गेहू चना)मिश्रित :-

क.सं.	नाम तहसील	कुल बोया गया मिश्रित क्षेत्रफल		अनुपात		गेहू		चना	
		सिंचित	असिंचित	गेहू	चना	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	कल्याणपुर	3	0	2	1	2	0	1	0

तहसील कल्याणपुर में मिश्रित फसल होने के कारण तहसील कल्याणपुर के जिन्सवार में गेहू के बोये गये क्षेत्रफल में 2 हैक्टेयर तथा चना के बोये गये क्षेत्रफल में 1 हैक्टेयर को जोड़ा गया है।
संलग्न - उपरोक्तानुसार


(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर

क्रमांक : प.14() () भू.अ./सां./2022/ 2000

दिनांक- 31/03/2023

प्रतिलिपि :- निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग जयपुर को सूचनार्थ।


प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर

[illegible]

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
प्रभारी अधिकारी (मू.अ.)
कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर

(सु)न्द सिंह पुरोहित)
प्रमारी अधिकारी (भूअ.)
कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर